भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या :1411
गुरुवार, 13 फरवरी, 2025 (24 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानों में खराबी आना

1411. श्री के. राधाकृष्णन:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों के दौरान निजी विमान कंपनियों के विमानों में खराबी के मामलों पर ध्यान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप विमान यात्रियों, विशेषकर वृद्ध व्यक्तियों और बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और यदि हां, तो तत्संबंधी विमान कंपनीवार ब्यौरा क्या है; और
(ख) सरकार द्वारा ऐसी विमान कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): विमान परिचालन के दौरान विमान में लगे कलपुर्जों/ प्रणाली / सहायक उपकरणों के उचित रूप से काम न करने/खराब हो जाने के कारण विमान में तकनीकी खराबियां आ सकती हैं जिसके लिए सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय हवाई परिवहन सेवा जारी रखने के लिए एयरलाइनों द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। ये तकनीकी खामियाँ उड़ान दल द्वारा कॉकपिट में श्रव्य/दृश्य चेतावनी मिलने या किसी निष्क्रिय/दोषपूर्ण प्रणाली का संकेत मिलने या विमान को संभालने/परिचालन करने में कठिनाई होने पर रिपोर्ट की जाती हैं। इसके बाद एएमएम में प्रक्रिया के अनुसार खराबी को ठीक किया जाता है और इसमें उपकरणों को बदलना, परीक्षण, सर्विसिंग आदि शामिल हो सकते हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान निजी एयरलाइनों के विमानों में आई तकनीकी खराबी के मामलों का विवरण अनुलग्नक क1 के रूप में दिया गया है।

(ख): डीजीसीए ने नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) के तहत विनियम निर्धारित किए हैं, जिनके अनुसार विमान का अनुरक्षण विनिर्माता और डीजीसीए के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए तथा विमान को उड़ान के लिए रिलीज करने से पहले उसमें रिपोर्ट की गई सभी तकनीकी खराबियों को ठीक कर लिया जाना चाहिए। इसके अलावा, सीएआर 145 अनुरक्षण संगठन के अनुमोदन संबंधी अपेक्षाओं को निर्धारित करता है, जिसके अनुसार संगठन के पास अनुरक्षित किए जाने वाले विमान के प्रकार और बेड़े के अनुरूप अपेक्षित जनशक्ति, उपकरण और साहित्यिक सामग्री होना अनिवार्य है। इस प्रणाली के अंतर्गत एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करना होता है कि विमान निरंतर उड़ान-योग्य स्थिति में बना रहे तथा सभी तकनीकी खराबियों को ठीक कर दिया जाए। डीजीसीए ने निगरानी, स्पॉट चेक, रात्रि निगरानी आदि करने के लिए एयरलाइनों/संगठनों और कार्मिकों का एक तंत्र निर्धारित किया है, ताकि यात्रियों और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी नियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। निगरानी, स्पॉट चैक और रात्रि निगरानी के दौरान किए गए टिप्पणियों/निष्कर्षों को सुधारात्मक

कार्रवाई करने के लिए एयरलाइन को उपलब्ध कराया जाता है। सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई लागू करने के लिए टिप्पणी पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाती है। उल्लंघन के मामले में, डीजीसीए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई करता है, जिसमें चेतावनी, निलंबन, रद्दकरण सहित संबंधित कार्मिक/एयरलाइन पर वित्तीय जुर्माना लगाना शामिल हो सकता है।

अनुलग्नक

निजी एयरलाइनों के विमानों में गड़बड़ियों की घटनाओं की संख्या (वर्षवार) 2023 –2024 (जनवरी 2025 तक)

क्र.सं.	एयरलाइन का नाम	2023		2024 (जनवरी 2025 तक)	
		उड़ानों की कुल संख्या	तकनीकी खराबियों की संख्या	उड़ानों की कुल संख्या	तकनीकी खराबियों की संख्या
1.	मैसर्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो)	678,313	115	610,061	118
2.	मैसर्स स्पाइसजेट लिमिटेड	71,131	150	46,079	23
3.	मैसर्स एअर इंडिया लिमिटेड	146,579	62	135,280	66
4.	मैसर्स विस्तारा	102,938	14	98,501	08
5.	मैसर्स एअर इंडिया एक्सप्रैस लिमिटेड	36,248	23	66,616	26
6.	मैसर्स एयर एशिया लिमिटेड	69,962	16	39,868	18
7.	मैसर्स बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड (फ्लाई बिग)	5,214	03	2,093	03
8.	मैसर्स अकासा एयर	39,773	00	38,162	05
09.	मैसर्स ब्लू डार्ट एविएशन लिमिटेड	5,949	01	5,933	01
कुल खराबियों /कुल उड़ानें		**1156107**	**384**	**1042593**	**268**
प्रति उड़ान खराबियों का प्रतिशत		**0.033**		**0.025**	

******